उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट–महाराणा प्रताप स्पोटर्स कालेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com

फोन न० 0135–2669658 फैक्स न0 0135–2672902

पत्रांकः–परीक्षा / 158 /2025–26 दिनांकः 30 सितम्बर, 2025

संवाद

विषयः– **आयोग द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2025 को प्रदेश स्तर पर आयोजित लिखित प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया पर अभ्यर्थियों द्वारा उठाये जा रहे बिन्दुओं के संबंध में।**

प्रिय अभ्यर्थियों,

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2025 को प्रदेश के समस्त जनपदों के अन्तर्गत 445 परीक्षा केन्द्रों में **प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे** तक लिखित प्रतियोगी आयोजित की गई। उक्त लिखित में जनपद हरिद्वार के एक परीक्षा केन्द्र में एक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा की शुचिता एवं गोपनीयता को भंग किए जाने पर अभ्यर्थियों एवं जनमानस द्वारा **सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया पर** परीक्षा की पारदर्शिता के संबंध में विभिन्न अभिकथन प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त के संदर्भ में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के सुलभ संदर्भ हेतु निम्न बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है :–

1. चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय एवं अन्य लिखित परीक्षाओं में परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता एवं गोपनीयता बनाए जाने के दृष्टिगत परीक्षा की गोपनीय सामग्री जिला प्रशासन के माध्यम से संबंधित जनपद के कोषागार के डबल लॉक में सुरक्षित रखे जाते हैं। परीक्षा की तिथि को जिला प्रशासन के माध्यम से नामित सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा की गोपनीय सामग्री संबंधित परीक्षा केन्द्र को हस्तगत की जाती है।
2. परीक्षा केन्द्र में परीक्षा की शुचिता बनाए जाने के दृष्टिगत आयोग द्वारा 02 सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाए जाते हैं। विद्यालय/परीक्षा केन्द्र में कक्षा–कक्षों में पूर्व से स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों को परीक्षा अवधि में सी0सी0टी0वी0 कैमरा को बन्द इस आशय से रखा जाता है कि परीक्षा कक्ष में स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों का access/पहुंच एक से अधिक व्यक्तियों के पास होता है तथा परीक्षा केन्द्रों के कक्षों के अन्दर स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों का High Resolution होने के दृष्टिगत प्रश्न पत्र की कक्ष से बाहर से फोटो खींचने की सम्भावना बनी रहती है, फलस्वरूप परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत संबंधित सी0सी0टी0वी0 कैमरों को ऑफ कराया जाता है।
3. परीक्षा नकल विहीन हो, इस उद्देश्य से आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्रों में जैमर की व्यवस्था की जाती है। परीक्षा की तिथि से एक दिवस पूर्व परीक्षा केन्द्र में जैमर उपलब्ध करवाए जाते हैं। जैमर सभी कक्षा–कक्षों में होना अनिवार्य नहीं है, परन्तु परीक्षा केन्द्र में लगे जैमर का प्रभाव/नियंत्रण समस्त कक्षा–कक्षों में हों, संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा इसे कार्यरूप दिया जाता है। दिनांक 21 सितम्बर, 2025 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्रों में जैमर 5जी मॉडल के प्रयोग में लाये गए, जिनका कार्यक्षेत्र 10 से 15 मीटर की दूरी है। दिनांक 21 सितम्बर, 2025 की लिखित परीक्षा में जनपद हरिद्वार के विवेचनाधीन परीक्षा केन्द्र में जैमर भली–भाँति का कार्य रहा था।
4. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में उपयोग में लाई गई ओ0एम0आर0 की मूल एवं द्वितीय (कार्बन) प्रति संबंधित परीक्षा केन्द्र में कन्ट्रोल रूम में आयोग द्वारा स्थापित सी0सी0टी0वी0 की निगरानी में सील की जाती हैं। जिला प्रशासन के माध्यम से नामित सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मूल ओ0एम0आर0 के सील्ड पैकेट्स को मूल्यांकन हेतु आयोग में उपलब्ध कराया जाता है, तथा ओ0एम0आर0 की द्वितीय प्रति (कार्बन प्रति) संबंधित कोषागार के डबल लॉक में सुरक्षित रखी जाती हैं। अतः अभ्यर्थियों को व्यक्ति विशेष की मूल

ओ0एम0आर0 ब्लैंक होने की आंशका होने पर संबंधित व्यक्ति विशेष को चयन प्रक्रिया में लाभ पहुँचाने की आंशका का आरोप चयन आयोग पर लगाया जाना पूर्णतः निराधार है।

5. वर्तमान में उक्त परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता एवं गोपनीयता प्रभावित करने वालो को पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा इस कृत्य में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों एवं परीक्षा की शुचिता प्रभावित होने के दृष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मा0 न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जाँच के साथ ही एस0आई0टी0 गठित की गई तथा सी0बी0आई0 से जाँच कराए जाने की सहमति दी गई है, जो उक्त परीक्षा के समस्त पहलुओं की जाँच कर जाँच आख्या राज्य सरकार को प्रदान करेगी। उक्त कार्य के लिए चयन आयोग राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता है कि परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को सबक सिखाने एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कठोरतम कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है।

6. प्रिय अभ्यर्थियों चयन आयोग आपको आश्वस्त करता है कि आयोग द्वारा परीक्षाओं की पूर्ण शुचिता, गोपनीयता एवं पारदर्शिता व निष्पक्षता के आधार पर चयन प्रक्रिया सम्पन्न कराई जाती है। विगत वर्षों से अद्यतन तक आयोग द्वारा पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ अर्ह अभ्यर्थियों की संस्तुतियाँ संबंधित विभागों को प्रेषित की गई हैं, जो वर्तमान में राज्य के विभिन्न विभागों में सेवारत हैं।

7. आयोग अभ्यर्थियों को यह भी आश्वस्त कराना चाहता है कि वर्तमान में आयोग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियाओं, प्रणालियों एवं तकनीकी प्रयोगों से किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी यदि कोई आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति परीक्षा में नकल करना चाहता है तथा परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करना चाहता है, उसके खिलाफ कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वर्तमान में आयोग की परीक्षाएं पूर्ण रूप से निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण हैं तथा चयन का एकमात्र पैमाना मैरिट है इसलिए अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह इस प्रकार किसी के बहकावे में न आयें।

8. आयोग आगामी परीक्षाओं में प्रतिभावान अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से सतर्क, संकल्पित एवं प्रतिबद्ध है। आप सभी को हमारी शुभकामना।

आयोग की ओर से,

सचिव 30.09.2025